



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 453 राँची, सोमवार,

24 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2026

संख्या :- 4/प्रोन्नति-201/2026 का. 5161--W.P. (S) No.- 3340/2021 तथा Contempt Case (C) No. 45/2025 में पारित न्यायादेशों के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 4330 दिनांक-03.07.2026 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश कुमार, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय), झारखण्ड, राँची को उनसे कनीय श्री वैद्यनाथ पाण्डेय (वरी०क्र0-694) को दिनांक-30.09.2022 के प्रभाव से उप सचिव (पी.बी.-III, ग्रेड पे.-रु0 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर दी गई प्रोन्नति की तिथि से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

2. उक्त अधिसूचना द्वारा श्री अखिलेश कुमार को उप सचिव के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई है, परन्तु श्री अखिलेश कुमार को उप सचिव के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है।

3. उक्त के क्रम में श्री अखिलेश कुमार, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय), झारखण्ड, राँची को उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय), झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. कालावधि की गणना उप सचिव के पद पर की गई प्रोन्नति की तिथि दिनांक- 30.09.2022 के प्रभाव से की जायेगी तथा उक्त तिथि से ही आर्थिक लाभ का भुगतान होगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,

सरकार के उप सचिव ।
